आर. एन.आई. पंजीयन क्रमांक - 65252/92

www.labour.mp.gov.in
email : welfarecommissioner@gmail.com

मासिक श्रम कल्याण

दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ

डाक पंजीयन क्रमांक मध्यप्रदेश भोपाल/303/2018-20

श्रम कल्याण समाचार पत्र का आजीवन सदस्यता शुल्क रूपए 2000 /-, नियोजको का वार्षिक सदस्यता शुल्क रूपए 200/-, श्रमिक एवं श्रमिक संघों के लिए रूपए 100/- प्रतिवर्ष

वर्ष - 30 | अंक - 3 | पृष्ठ - 8 | मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल का मासिक प्रकाशन | दीपावली विशेषांक | 15 नवंबर 2020

मुख्यमंत्री ने संबल के 3700 हितग्राहियों के खातों में जमा किए रू. 80 करोड़

'संबल' में नहीं आने देंगे कोई कमी : मुख्यमंत्री

भोपाल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू हुए गरीब कल्याण सप्ताह के तहत विगत 23 सितंबर को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना 'संबल' के हितग्राहियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने 3700 हितग्राहियों के खातों में विभिन्न योजनाओं के तहत 80 करोड़ रूपये की राशि जमा करवाई। साथ ही यह भरोसा दिलाया कि संबल योजना हर हाल में जारी रहेगी।

राजधानी के मिंटो हॉल में हुए इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से हितग्राहियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने सागर की श्रीमती सीमा, रायसेन की श्रीमती साधना और भिंड के श्री राहुल से बात की और भरोसा दिलाया कि संबल का सहारा मिलता रहेगा। इस अवसर पर श्रम मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि संबल योजना में अभी तक डेढ़ लाख लोगों को 1349 करोड़ रूपये की सहायता विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दी जा चुकी है। संबल योजना के अंतर्गत गर्भवती बहनों को चार हजार और प्रसूती होने पर 12 हजार रूपये देने का प्रावधान किया गया है ताकि वह भी घर पर आराम से रह सकें।

इस अवसर पर पशुपालन मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह, प्रमुख सचिव श्रम श्री उमाकांत उमाराव, श्रमायुक्त श्री आशुतोष अवस्थी एवं उप सचिव श्री छोटे सिंह सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं श्रमिक उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत 23 सितंबर को मिंटो हॉल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के हितग्राहियों को अनुग्रह के प्रमाण -पत्रों का वितरण किया इस अवसर पर विभागीय मंत्री श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि वितरण कार्यक्रम ''आपका संबल-आपकी सरकार'' के अंतर्गत 22 जिलों के 308 कार्यक्रम स्थलों से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इस कार्यक्रम में 3700 हितग्राहियों को 80 करोड़ रूपये की राशि का सीधे बैंक खाते में वितरण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हितग्राहियों से सीधा संवाद स्थापित किया गया।

'श्रमिकों की बदौलत ही मध्यप्रदेश तेजी से उन्नति कर रहा है। इस उन्नति में श्रमिको का बड़ा योगदान है। प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के विकास के लिये श्रम कानूनों में ऐतिहासिक सुधार करने का काम किया है जिससे उनकी उन्नति और प्रगति सुनिश्चित हो सकें। श्रमिकों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिये सरकार प्रतिबद्ध है।'

- शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

से पहले से लेकर जिंदगी के बाद तक इस योजना का गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए असंगठित क्षेत्र में नियोजित श्रमिक अपनी ग्राम पंचायत/जोन में संपर्क कर अपना पंजीयन करवा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संबल योजना में हम एक नई 'सुपर 5000' योजना को जोड़ रहे हैं। संबल परिवारों के ऐसे 5000 बच्चे जो 12वीं में सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे, उन्हें 30000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में अलग से दिए जाएंगे। संबल योजना में संबल परिवारों के ऐसे बच्चे जो राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे, उन्हें 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।

प्रसूति सहायता के तहत 14000 रु मदद

चौहान ने कहा कि जब हम एक महामारी से जूझ रहे हैं, लोगों की जिन्दगी में सहारा देने वाली संबल योजना को हम फिर से शुरू कर रहे हैं। जब संबल योजना की पात्र कोई गरीब किसी शिशु को जन्म देगी तो जन्म देने से पहले 4 हजार और जन्म देने के बाद 12 हजार रुपये उनके खाते में आएंगे।

कौन है लाभ लेने के लिए पात्र

मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना में असंगठित श्रमिकों को लाभांवित करने का प्रावधान है। असंगठित श्रमिक से आशय उस व्यक्ति से है जो 18 से 60 वर्ष की आयु का हो एवं जो नौकरी, स्वरोजगार, घरों मे कार्य, या वेतन हेतु अन्य अस्थाई प्रकृति के कार्य कर रहा हो; किसी ऐसे कार्य मे नियोजित हो जो किसी एजेंसी, ठेकेदार के माध्यम से या प्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा हो और जिन्हें बीमा, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों का लाभ प्राप्त नहीं होता हो।

ऐसे व्यक्ति जो 01 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि धारित करते हों अथवा शासकीय सेवा मे कार्यरत हो अथवा आयकर दाता हों, वे इस योजना मे असंगठित श्रमिक नहीं माने जाएंगे। वे हित लाभ प्राप्त करने के लिए अपात्र होंगे।

संबल योजना के लाभ

योजना में श्रमिक की असामयिक मृत्यु पर अनुग्रह सहायता, अंत्येष्टि सहायता और अपंगता पर आर्थिक सहायता का प्रावधान है। संबल योजना में 5 हजार रुपये की राशि अंत्येष्टि के लिए सहायता के रूप में दी जाती है। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपये की राशि और दुर्घटना से मृत्यु होने पर चार लाख रुपये की राशि परिजन को देने का प्रावधान किया गया है। स्थाई अपंगता पर 2 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता और आंशिक स्थाई अपंगता पर एक लाख रुपये की अनुग्रह सहायता देने का प्रावधान किया गया। उन्नत व्यवसाय के लिए उपकरण क्रय करने बैंक से प्राप्त ऋण का 10 फीसदी अथवा 5 हजार रुपये, जो भी कम हो, वह भी इस योजना में देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शिक्षा प्रोत्साहन योजना, बकाया बिजली बिल माफी योजना, सरल बिजली बिल योजना, निशुल्क चिकित्सा प्रसूति सहायता योजना, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना भी जन कल्याण संबल योजना के तहत चलती हैं।

'श्रमिकों के कारण ही मध्यप्रदेश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। सरकार श्रमिकों को सम्मान दिलाने और उनके कल्याण के लिये संकल्पित है।'

- बृजेंद्र प्रताप सिंह,
मंत्री, श्रम एवं खनिज साधन

संबल योजना को और अधिक प्रभावी और सुगम बनाने के निर्देश

राज्य के सभी श्रमिकों को मिलेगा रोजगार, श्रम मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने की श्रम विभाग की समीक्षा

भोपाल। श्रम मंत्री श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने प्रदेश के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी और सुगम बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के लिए रोजगार पोर्टल पर सरल हिन्दी भाषा में यूजर मेन्युअल एवं डेमों को दर्शाया जाये, जिससे सामान्य व्यक्ति को भी पंजीयन कराने में कोई कठिनाई न हो। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि रोजगार सेतु पोर्टल की सुविधाओं को एप के माध्यम से प्राप्त करने के लिए एन.आई.सी के सहयोग से सरलीकृत मोबाईल एप का निर्माण भी किया जाये।

मंत्री श्री सिंह ने श्रम विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा बनाये जा रहे उन्नति पोर्टल एवं अन्य राज्यों के पोर्टल का अध्ययन कर उनके आधार पर मध्यप्रदेश के रोजगार सेतु पोर्टल को अद्यतन किया जाये, साथ ही भारत सरकार के उन्नति पोर्टल के साथ एकीकरण किया जाये, जिससे राज्य के प्रवासी श्रमिकों को उन्नति पोर्टल की सेवाओं का लाभ मिल सकें। उन्होंने

कहा कि रोजगार सेतु पोर्टल का प्रचार-प्रसार प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के द्वारा किया जाये, जिससे अधिक से अधिक श्रमिकों को इसका लाभ मिल सकें। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि जानकारी के आभाव में राज्य में वापस आये प्रवासी श्रमिक जो पंजीयन से वंचित रह गए हो, उनके लिए रोजगार और अन्य योजनओं का लाभ लेने के लिए सीमित अवधि के लिए रोजगार सेतु पोर्टल पर पंजीयन करने की सुविधा उपलब्ध करवायी जाये।

श्रम विभाग के प्रमुख सचिव श्री उमाकांत उमराव ने बताया कि एक मार्च 2020 के बाद प्रदेश में लौटकर आये प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन के लिए 27 मई से 06 जून, 2020 तक अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 7 लाख 30 हजार 311 प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को कार्य की प्रकृति, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, कुशलता के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। कारखानों, वाणिज्यिकर स्थापनाओं, एम.एस.एम.ई, नियोक्ताओं, ठेकेदारों, प्लेसमेंट एजेंसियों, बिल्डरों इत्यादि

शेष पृष्ठ अंतिम पर

भारत सरकार के उन्नति पोर्टल एवं राज्य के रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से रोजगार सृजन की महत्वपूर्ण पहल

प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग श्री उमाकांत उमराव ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर को पत्र प्रेषित कर उन्नति पोर्टल एवं राज्य के रोजगार सेतु पोर्टल के प्रचार-प्रसार हेतु कार्य योजना प्रेषित कर बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण कार्य करने के निर्देश दिये हैं। ताकि रोजगार या बेहतर रोजगार के अवसर हेतु इच्छुक व्यक्ति इस सुविधा का अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सके।

नीति आयोग भारत सरकार ने मध्यप्रदेश राज्य में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से मध्यप्रदेश वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रारंभ किये गये रोजगार सेतू पोर्टल की सराहना करते हुए नीति आयोग भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किये गये उन्नति पोर्टल से रोजगार सेतू का इंटिग्रेशन करने के निर्देश दिये हैं। इस इंटिग्रेशन से रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को काफी मदद मिलेगी।

श्री उमाकांत उमराव
प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश
शासन, श्रम विभाग

नीति आयोग भारत सरकार द्वारा उन्नति पोर्टल के माध्यम से रोजगार चाहने वाले समस्त व्यक्तियों एवं देश में रोजगार उपलब्ध कराने वाले समस्त श्रेणियों के रोजगार/नियोजन प्रदाताओं को उन्नति पोर्टल के रूप में एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया गया है, जिसके माध्यम से दोनों आपस में विभिन्न माध्यमों से सम्पर्क एवं समन्वय कर उपलब्ध रिक्तियों के आधार एवं नियोक्ता की आवश्यकता अनुसार व्यक्तियों को नियोजित कर सकेंगे एवं श्रमिक अपने कौशल के आधार पर अनुकूल रोजगार/नियोजन प्राप्त कर सकेंगे।

उन्नति कौशल का उद्देश्य

उन्नति पोर्टल पर ब्लू और ग्रे कॉलर वर्कर्स के लिए सभी तरह की जानकारियाँ उपलब्ध है। इसमें योग्यता, स्किल्स सेट और अन्य सभी जानकारियों का लेखा-जोखा होगा। इसका मकसद नौकरी तलाशने वाले और नौकरी देने वाले को एक मोबाईल डिजिटल प्लेटफार्म पर लाना है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की इस अनूठी पहल द्वारा न केवल अनियोजित व्यक्तियों को नियोजन प्राप्त हो सकेगा बल्कि राज्य के व्यक्तियों को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करने की सुविधा भी मिल सकेगी। उन्नति पोर्टल की लिंक (https://unnati.gov.in)रोजगार सेतू पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। प्रमुख सचिव श्रम श्री उमाकांत उमाराव द्वारा प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर को पत्र प्रेषित कर उन्नति पोर्टल की सुविधाओं का लाभ राज्य के अधिकाधिक व्यक्तियों को प्राप्त हो सके, इस हेतु निम्न रणनीति के अनुसार जिले में अग्रिम कार्यवाही की जाने की अपेक्षा की गई है:-

1. उन्नति पोर्टल के उद्देश्य के सम्बंध में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवश्यक प्रचार-प्रसार किया जाए जिससे पोर्टल प्रारंभ होते ही इसका लाभ उठाया जा सके।
2. ग्राम पंचायत स्तर पर नोटिस बोर्ड पर सूचना प्रदर्शित की जावे एवं आगामी ग्रामसभा के आयोजन में इसके संबंध में अवगत कराया जावे।
3. शहरी क्षेत्रों में समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों में सूचना प्रदर्शित की जावे।
4. जिले में संचालित सभी स्थानीय टीवी चैनलों तथा स्थानीय रेडियों पर भी उपरोक्त जानकारी प्रसारित कराई जावे।
5. जिले के रोजगार कार्यालयों द्वारा सभी रोजगार हेतु पंजीकृत व्यक्तियों को एसएमएस आदि माध्यम से उन्नति पोर्टल के संबंध में जानकारी दी जावे साथ ही रोजगार सेतू पोर्टल पर दर्ज प्रवासी श्रमिकों को भी एसएमएस से जानकारी सम्प्रेषित की जावे।
6. जिले के शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय उपक्रमों में कार्यरत विभिन्न ठेकेदारों/आउटसोर्स एजेंसी/रोजगार प्रदाताओं को पोर्टल के संबंध में जानकारी प्रेषित की जावे।
7. जिले में कार्यरत विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं उद्योग संगठनों को उद्योग विभाग के माध्यम से जानकारी प्रेषित की जावे।
8. जिले में कार्यरत विभिन्न श्रम संगठनों को श्रम विभाग के माध्यम से जानकारी दी जावे। साथ ही औद्योगिक संगठनों का ओरिएंटेशन किया जाये।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त जिले में जो भी अन्य साधन उपलब्ध है उनका भी समुचित उपयोग किया जावे।
10. इसके अतिरिक्त ग्राम सभा में चर्चा एवं प्रदर्शन, सचिव एवं अन्य को प्रशिक्षण, अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं ग्राम सभाओं में जिम्मेदारी दी जाना चाहिए।
11. नीति आयोग द्वारा उन्नति पोर्टल का आरंभ होते ही रोजगार सेतु पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी/डाटा का इंटीग्रेशन करते हुए ससमय जानकारी उपलब्ध करायी जावेगी। अत: कृपया उक्तानुसार सभी जिलों में कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

महिलाओं के आर्थिक संबल के लिये महत्वपूर्ण पहल

देश की कुल आबादी का 75 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, जिनका प्रमुख आधार खेती रहा है। प्रारंभ से ही ग्रामीण महिलायें खेती कार्य में पुरूषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर कार्य करती रहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिला शक्ति को पहचान कर मध्यप्रदेश सरकार ने उनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास की अवधारणा को मूर्त रूप दिया है। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिये व्यापक स्तर पर महिलाओं को मदद का सिलसिला शुरू किया गया है, जिससे वे अपने हुनर को बढ़ाकर अपनी आय का स्थाई जरिया कायम कर सकें।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिये प्रभावी कार्ययोजना तैयार की गई है। इस कार्ययोजना को मूर्तरूप देने के लिये 'बूस्टर डोज' के रूप में राज्य शासन द्वारा इस वर्ष महिला स्व-सहायता समूहों को बैंकों के माध्यम से दी जाने वाली सहायता सीमा 300 करोड़ से बढ़ाकर 1400 करोड़ रूपये कर दी गई है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि बैंक ब्याज दर चार प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगी। इसके ऊपर का ब्याज राज्य सरकार देगी। सम्पूर्ण प्रदेश के महिला स्व-सहायता समूहों की 33 लाख महिलाओं को स्व-रोजगार की दिशा में बढ़ावा देने के लिये की गई इस नवीन व्यवस्था से प्रदेश की महिलाएं सशक्त होंगी। सशक्त महिलाएँ ही प्रदेश को सशक्त बना सकती है। उन्हें आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर करने और स्व-सहायता समूहों की गतिविधियों और विपणन के लिये स्व-सहायता पोर्टल भी

शेष पृष्ठ 3 पर

मध्यप्रदेश में उद्योग व श्रमिक हितों में संतुलन

श्रमिकों, रोजगार प्रदाताओं जैसे उद्योगपति, कारखाना या दुकान का मालिक, श्रम संगठनों और सरकार के बीच संबंधों का निर्धारण श्रम कानूनों के माध्यम से होता है। यह कानून बताते हैं कि श्रमिकों का न्यूनतम वेतन कितना होगा, उनके अधिकतम कितने घंटे काम करना होगा, कार्य-स्थल पर उन्हें क्या सुविधाएं दी जाएंगी आदि। वहीं रोजगार प्रदाताओं के हितों की रक्षा के लिए श्रमिकों के साथ विवादों के निराकरण के नियम व प्रक्रिया भी इन्हीं कानूनों में निर्धारित की गई है। इन कानूनों में फेरबदल करना तलवार की धार पर चलने जैसा है। यदि श्रम संगठनों की सारी मांगे मान ली जाएं तो उद्योगों का चलना मुश्किल हो जाएगा वहीं रोजगार प्रदाताओं की सारी मांगें मानने पर श्रमिकों के शोषण का रास्ता खुल जाएगा। श्रम कानूनों का दायित्व है कि वे कामगारों को उद्योगपतियों के शोषण से बचाएं वहीं उद्योगों को श्रमिकों के अवैधानिक दवाबों से संरक्षण प्रदान करें।

आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश की दिशा में भी एक कदम है श्रम सुधार

कोरोना संकट से वैश्विक अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। औद्योगिक उत्पादन ठप्प हो गया है। श्रमिकों का बड़ी संख्या में उद्योगों से पलायन हुआ है। कई देशों से बड़ी कंपनियां व उद्योग ऐसे नए ठिकाने खोज रहे हैं जहां उन्हें सस्ता और कुशल श्रम, प्राकृतिक संसाधन, अच्छी कानून व्यवस्था और उद्योग हितैषी कानून विधान मौजूद हों। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के मकसद से केंद्र सरकार ने व्यापक श्रम सुधारों का अभियान शुरू कर दिया है। इसी क्रम में आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश बनाने के घोषित लक्ष्य के तहत मध्यप्रदेश ने भी श्रम सुधारों की घोषणा कर दी।

मध्यप्रदेश पूर्व में ही 13 केंद्रीय एवं 4 राज्य कानूनों में 32 संशोधन कर चुका है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 30 सेवाओं को मप्र लोकसेवा गारंटी अधिनियम में लाया जा चुका है। मध्यप्रदेश में निश्चित समय के लिए रोजगार देने का प्रावधान, रिटर्न फाइल करने के लिए स्वप्रमाणन का प्रावधान, सिंगल विंडो क्लीयरेंस का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की कुछ धाराओं के अंतर्गत उल्लंघन पर कम्पाउंडिंग के प्रावधान किये गये हैं।

मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जिसने कोरोना संकट के संदर्भ में निवेश एवं रोजगार वृद्धि के लिये व्यापक श्रम सुधार किये हैं। प्रदेश सरकार के इन संतुलित प्रयासों से नया निवेश आकर्षित होगा और औद्योगिक गतिविधियाँ प्रोत्साहित होंगी। इन उपायों से ही मौजूदा कामगारों के रोजगार की रक्षा होगी और नये रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

कारखानों और ठेका श्रम अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा

ऐसे कारखानों को जो बिना विद्युत शक्ति से चलित हैं उन्हें पूर्णत: और जो विद्युत शक्ति से चलित हैं उनमें यदि कामगारों की संख्या 50 तक है तो उन्हें कारखाना अधिनियम के प्रावधानों से छूट देने का प्रस्ताव केंद्र शासन को भेजा जा चुका है। श्रमिकों के ठेकेदार पर ठेका श्रम अधिनियम तभी लागू होगा जब वह 50 से अधिक श्रमिक नियोजित करेगा।

पहले यह श्रमिक संख्या 20 थी। यह प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजा जा चुका है। नये प्रस्तावों में उद्योगों में तृतीय पक्ष के द्वारा निरीक्षण की व्यवस्था की गई है। छोटे संस्थानों को सरकारी हस्तक्षेप से बचाने हेतु 50 से कम श्रमिक नियोजित करने वाले संस्थानों में श्रम आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर निरीक्षण प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी श्रम अधिनियमों में पंजीयन लायसेंस एवं रिटर्न की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। अनेक श्रम अधिनियमों के अंतर्गत पंजीयन और अनुज्ञप्ति अब 1 दिन में प्रदान करने की गारंटी दी गई है। लाइसेंस का नवीनीकरण की अवधि अब एक वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष कर दी गई है।

कारखानों मजदूर कार्य अवधि 8 से बढ़ाकर 12 घंटे की गई

कारखानों में मजदूरों के कार्य की दैनिक अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी गई है। एक सप्ताह में अधिकतम 72 घंटे कार्य करने की अनुमति होगी। अतिरिक्त 4 घंटे का कार्य, श्रमिक की इच्छा से उसे सामान्य दर से दोगुना ओवरटाइम देकर ही, लिया जा सकता है। अब दुकानें व वाणिज्यक स्थापनाएं प्रात: 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक खुली रखी जा सकेंगी। नये स्थापित होने वाले कारखानों को प्रासंगिक श्रम कानूनों से 1 हजार दिवस तक छूट दी गई है। कारखाना अधिनियम में अनेक प्रावधानों को 3 माह के लिए शिथिल किया गया है। इससे उनमें सरकारी हस्तक्षेप घटेगा। कार्य के घंटों में छूट से जहां उत्पादन बढ़ेगा वहीं ओवरटाइम से श्रमिकों की आय बढ़ेगी।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान शिथिल

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के कुछ प्रावधानों के शिथिलीकरण से रोजगार प्रदाता को श्रमिकों का नियोजन करने, संतोषजनक सेवा न देने पर उनका निष्कासन करने में सरलता होगी। इसमें श्रम विभाग व न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं हो सकेगा।

अब मप्र औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1961 तभी लागू होगा जब कामगारों की संख्या 100 या अधिक होगी। पहले यह संख्या 50 थी। इससे लघु व मध्यम उद्योगों को राहत मिलेगी। नवीन स्थापित उद्योगों को श्रम कल्याण मंडल में अंशदान देने से छूट दी गई है। कपड़ा लोहा स्टील शक्कर विद्युत वस्तुएं आदि को मप्र औद्योगिक संबंध अधिनियम के प्रावधानों से छूट दे दी गई है।

संतुलित होना है श्रम सुधारों की विशेषता

मध्यप्रदेश के श्रम सुधारों की विशेषता इनका

शेष पृष्ठ तीन पर

शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना 2020-21

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल

83, मालवीय नगर, भोपाल फोन: 2572753 फैक्स: 0755-2762978
EMAIL:mplabourwelfareactiviy@gmail.com

कार्यालय उपयोग हेतु
उतीर्ण कक्षा श्रेणी .....
वर्तमान कक्षा श्रेणी .....
संस्थान चालू अथवा बंद .....
आय वर्ग (1).....(2).....(3).....
अभिदाय जमा करने की स्थिति (Y) ..... (N) .....
आवेदन पत्र पूर्ण/अपूर्ण आवेदन निरस्तीकरण का कारण.....

शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना आवेदन पत्र 2020-21
अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2020

आवेदक छात्र/छात्रा का नवीनतम फोटो चस्पा करना अनिवार्य है।

प्रति,
कल्याण आयुक्त,
म.प्र.श्रम कल्याण मंडल,
83,मालवीयनगर,भोपाल

1 आवेदक (छात्र/छात्रा) का नाम : .....
2 आवेदक का नाम अंग्रेजी में (IN BLOCK LETTERS).....
3 पिता/माता नाम श्री/श्रीमति :.....
4 पिता/माता नाम श्री/श्रीमति अंग्रेजी में (IN BLOCK LETTERS).....
5 जाति का निशान लगाये अ.जा. .....अ.ज.ज. ..... पि.वर्ग..... सामान्य .....
6 निवास का पूर्ण पता :.....
.....
7 आवेदक का ई.मेल आई.डी. .....
8 संस्थान/स्थापना का नाम व पूरा नाम:.....
.....
9 संस्थान का ई मेल आई.डी. .....
10 आवेदक छात्र/छात्रा का बैक खाता क्र .....बैंक का नाम.....
बैंक का IFS कोड .....आधार पत्र(U.I.D)क्र. .....
11 प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति ..... हमारे संस्थान में पद .....
पर कार्यरत है। इनकी कुल मासिक आय ..... ई.पी.एफक्रमांक .....
तथा ई.एस.आई.क्रमांक.....है। हमारे संस्थान का अभिदाय कोड क्र.....है।

नियोजक का नाम
हस्ताक्षर,पद व मुद्रा

12 वर्तमान कक्षा :.....
13 उतीर्ण कक्षा का विवरण : कक्षा .....पूर्णांक ..... प्राप्तांक ..... प्रतिशत.....
14 शैक्षणिक संस्थान का नाम व पूरा पता : .....
(उतीर्ण कक्षा की अंकसूची की सत्यापित फोटो कापी, संलग्न करे)

घोषणा-पत्र

मैं श्री/कुमारी.....शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे पिता/माता श्री/श्रीमति .....कारखाना/स्थापना में.....पद .....पर कार्यरत है तथा इनकी मासिक आय.....है। मैं वर्तमान में कक्षा.....में ..... विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययनरत हूँ। मेरे द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी पूर्णत: सत्य है। उपरोक्तानुसार मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाये जाने की स्थिति में मेरे द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र मंडल को निरस्त करने का अधिकार होगा।

हस्ताक्षर
छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर **माता/पिता के हस्ताक्षर** **प्रधानाचार्य/प्राचार्य के हस्ताक्षर व मुद्रा**

नियमावली

1 म.प्र.श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अन्तर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों के पुत्र-पुत्रियाँ इस योजना में आवेदन कर सकते है।
2 इस योजना में कक्षा 5 वीं से 12 वीं में अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ ऑफलाईन आवेदन कर सकते है। योजना के अंतर्गत कक्षा 5 वीं से 8 वीं तक प्रतिवर्ष रू.1000/-तथा कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक प्रतिवर्ष रू.1200/-भुगतान किये जायेगें। स्नातक एवं ऊपर की कक्षाओं के छात्र/छात्रा मंडल के पोर्टल www.shramkalyan Portal पर ऑनलाईन आवेदन कर सकेंगे जिन्हें अन्य विभाग से छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त होता है वे छात्रवृत्ति के लिये आवेदन न करें।
3 इस योजना में एक श्रमिक के दो ही बच्चों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
4 आवेदन पत्र स्थानीय क्षेत्रीय कार्यालय/कल्याण केन्द्रो से प्राप्त करना है एवं आवेदन पत्र भरकर वहीं जमा भी करना है।
5 योजना में कियी भी प्रकार की (चयन/निरस्तीकरण की) जानकारी संबधित क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय/कल्याण केन्द्रो से प्राप्त की जा सकेगी।
6 इस आवेदन पत्र की फोटोकापी भी मान्य होगी। आवेदन के सभी कॉलम स्पष्ट भरना अनिवार्य है। अपूर्ण, गलत एवं अस्पष्ट आवेदन पत्र मान्य नहीं होगें।
7 एक योजना में एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त किये जायेगें।
8 अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
9 आवेदन पत्र के साथ विगत उर्तीण कक्षा की अंकसूची, छात्र/छात्रा का नवीनतम फोटो, बैंक पासबुक के मुख पृष्ठ जिसमें खाता क्रमांक, आईएफएस कोड, नाम का उल्लेख हो स्वयं द्वारा सत्यापित छायाप्रति तथा आवेदक का आधार पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
10 आवेदन में चाहे गये अभिलेखों की छायाप्रति के साथ आवेदन पर नियोजक के हस्ताक्षर तथा पदमुद्रा होना अनिवार्य है एवं विद्यालय/महाविद्यालय के प्राचार्य के हस्ताक्षर, पदमुद्रा, वांछनीय है।
11 योजना में चयनित छात्र-छात्रा को सहायता राशि सीधे आवेदक छात्र/छात्रा के बैंक खाते में स्वीकृति उपरांत क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी।
12 योजना से सबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय कल्याण आयुक्त का होगा।
13 शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य/प्राचार्य से अनुरोध है कि औद्योगिक इकाइयों/स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों के अध्ययनरत पुत्र-पुत्रियों को मंडल की शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है। अत: कृपया आवेदन पत्र सत्यापित करने का कष्ट करें।

कल्याण आयुक्त
म.प्र.श्रम कल्याण मंडल, भोपाल

मध्यप्रदेश में उद्योग व श्रमिकों .... पृष्ठ 2 का शेष

संतुलित होना है। जहां एक ओर यह औद्योगिक निवेश के लिए वातावरण बनाते हैं वहीं दूसरी ओर श्रमिकों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। विभिन्न अधिनियमों में श्रमिकों को दिये गये लाभ यथावत संरक्षित रखे गये हैं। महिला श्रमिकों को समान कार्य के लिए समान वेतन तथा 26 सप्ताह का प्रसूति अवकाश वेतन सहित मिलेगा। बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिबंधित रहेगा। श्रमिकों को न्यूनतम वेतन व मँहगाई भत्ते और साप्ताहिक अवकाश का अधिकार भी यथावत् रहेगा। श्रमिकों के स्वास्थ्य व सुरक्षा संबंधी प्रावधानों से कोई समझौता नहीं किया गया है। कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में श्रमिकों को क्षतिपूर्ति संबंधी प्रावधान लागू रहेंगे।

श्रमिकों की बंदी व छँटनी में पूर्व से निर्धारित प्रक्रिया अपनाना आवश्यक होगा जिसमें छँटनी की स्थिति में 3 माह की सूचना या वेतन देना आवश्यक होगा। श्रमिकों की ओर से उनके श्रम संगठन नियोजकों से चर्चा हेतु सक्षम रहेंगे। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों का लाभ भी श्रमिकों को यथावत् मिलेगा। इसी प्रकार संबल योजना व विभिन्न प्रकार के कर्मकार कल्याण मंडलों के देय लाभ भी श्रमिकों को पात्रता अनुसार प्राप्त होते रहेंगे।

प्रदेश सरकार के इन संतुलित प्रयासों से नया निवेश आकर्षित होगा और औद्योगिक गतिविधियाँ प्रोत्साहित होंगीं। इन उपायों से ही मौजूदा कामगारों के रोजगार की रक्षा होगी और नये रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।

***मध्यप्रदेश संदेश से साभार**

इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं।

महिलाओं के आर्थिक संबल.... पृष्ठ 2 का शेष

तैयार किया गया है।

प्रदेश सरकार के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान बेटियों और महिलाओं के प्रति अति संवेदनशील है। उनका मानना है कि भारतीय परंपरा में बहन-बेटी का सम्मान सर्वोपरि है, अत- बहन-बेटियों को समाज में बराबरी का स्थान मिले इसके लिये राज्य सरकार हर पहलू पर कार्य कर रही हैं। प्रदेश की महिलाओं ने कोरोना काल में यह सिद्ध करके दिखा दिया कि वे हर विपदा से बचाने में सक्षम है। महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा बनाये गये मास्क और पीपीई किट ने आम लोगों और सरकार की बहुत सहायता की। महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये तैयार की गई सामग्री काफी उपयोगी साबित हुई।

गाँव के इस हुनर को आगे बढ़ाने के लिये प्रदेश सरकार प्रोत्साहन के साथ-साथ उन्हें आर्थिक मदद भी उपलब्ध करवा रही है। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अब सरकारी खरीदी में स्व-सहायता समूहों के उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रदेश में अब महिला स्व-सहायता समूहों को आंगनवाड़ी केन्द्रों में वितरित होने वाले रेडी-टू-ईट पोषण आहार और शाला स्तर पर गणवेश निर्माण का कार्य दिया जा रहा है। इन कार्यों में स्व-सहायता समूहों को पूर्ण स्वायत्तता रहेगी।

स्व-सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये उन्हें उत्पादन, पैकेजिंग, मार्केटिंग में विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण को व्यवस्थित करने के लिये राज्य स्तर पर संस्थान बनाया जाएगा। समूहों के उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग के लिये 'ऑनलाइन ट्रेडिंग' तथा 'ई-प्लेटफार्म' उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी की जा रही है। मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रदेश में 43 हजार से अधिक ग्रामों में 3 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है, इन समूहों से 33 लाख 96 हजार परिवार जुड़ चुके है। समूहों को रोजगार की विभिन्न गतिविधियों का प्रशिक्षण भी दिया गया है।

प्रदेश के 11 लाख 54 हजार से अधिक परिवारों को कृषि व पशुपालन गतिविधियों से जोड़ा गया है। तीन लाख 69 हजार से अधिक परिवारों को शूक्ष्म गतिविधियों से जोड़ा गया है। सशक्त एवं आर्थिक रूप से समृद्ध महिला स्व-सहायता समूह नए 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश' के निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करेंगे।

आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक 65252/92
www.labour.mp.gov.in
email : welfarecommissioner@gmail.com
मासिक श्रमकल्याण
1990 30 वर्ष 2020

श्रम कल्याण समर्पित उनको, श्रम जिनने साकार किया ।
विविध रुप में सृजन देकर, दुनिया का उपकार किया ।।

अंक 3 वर्ष 30 **सम्पादकीय** *15 नवम्बर, 2020*

श्रम के बगैर संपदा, आत्मा के बगैर आनंद, मानवता के बगैर ज्ञान, सिद्धांतों के बगैर राजनीति, नैतिकता के बगैर व्यापार, और त्याग-बलिदान के बगैर पूजा-अर्चना, ये सात सबसे जघन्य पाप हैं
- महात्मा गांधी

कोरोना काल में मजदूरों की सुरक्षा

कोरोना महामारी के दौर में जब देश भर में काम करने वाले मजदूर, आर्थिक अभाव, खाने का संकट और रोजी रोटी की समस्या के कारण पैदल ही अपने परिवार के साथ सड़कों पर निकल पड़े थे तब हर भारतीय के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी थी। आये दिन हादसों में मजदूरों की मौतों ने मानवता को झकझोर दिया था।

ऐसे संकटकालीन समय में म.प्र. सरकार ने प्रदेश के निवासी श्रमिकों की सुरिक्षत और सम्मानजनक घर वापसी के लिये कई उपाय किये। स्वयं प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री ने ट्वीटर पर अपील की कि कोई भी मजदूर पैदल न चले। जिलों में श्रमिकों को रोक–रोक कर खाना खिलाया गया, बसों में बैठाया गया। पड़ोसी राज्यों को भी सूचना दी गई म.प्र. के श्रमिकों की सूचना दी जाये, हेल्पलाईन नम्बर और कंट्रोल रूम स्थापित किये और सुनियोजित तरीके से देशभर में फँसे प्रदेश के श्रमिकों को सुरक्षित तरीके और सम्मानजनक रूप से उनके घर पंहुचाया गया। रास्ते मैं उनके खाने–पीने का भी प्रबंध किया गया। अन्य विभागों के साथ ही श्रम विभाग ने भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। इन प्रयासों के कारण ही 15 मई तक राज्य सरकार द्वारा 10 हजार बसों के माध्यम से अन्य राज्यों में फँसे 35 हजार श्रमिकों को उनकी सीमा तक पहुंचाया। ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश सम्भवत: देश का पहला राज्य था। जानकारी के अनुसार रेल मंत्रालय में ट्रेनों के लिये 5 करोड़ रूपये जमा करवाये गये जबकि बसों के लिये एक करोड़ रूपये खर्च किये गये। 29 मई तक 20, 14, 552 प्रवासियों को 6373 स्थानों पर शासन की ओर से भोजन उपलब्ध कराया गया तथा 11 लाख 36 हजार प्रवासी मजदूरों तथा उनके परिवार का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।

*प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह तथा श्रम मंत्री के प्रयासों से प्रवासी श्रमिकों हेतु रोजगार सेतू प्रारम्भ करने, प्रवासी श्रमिकों को मुख्यमंत्री जन–कल्याण संबल योजना से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया। प्रवासी श्रमिकों में अकुशल श्रमिकों के लिये श्रम सिद्धि अभियान एवं कुशल श्रमिकों के लिये अल्पावधि और दीर्घकालीन योजना बनाई गई। प्रवासी श्रमिकों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय योजना गांरटी योजना (मनरेगा) के माध्यम से रोजगार से जोड़ा गया प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के लिये **'प्रवासी श्रमिक आयोग'** के गठन का निर्णय लिया गया। श्रम विभाग द्वारा ऑनलाईन पंजीकृत 8 लाख 85 हजार निर्माण श्रमिकों के खाते में एक हजार प्रति श्रमिक के मान से द्वितीय किश्त के रूप में 88 करोड़ 50 लाख रूपये ट्रांसफर किये गये।*

जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण काल में मई तक लगभग 5 लाख 74 हजार श्रमिक प्रदेश में वापस आ चुके थे इनमें से 4 लाख 3 हजार बसों से तथा लगभग 1 लाख 71 हजार श्रमिक ट्रेनों से वापस लाये गये। जिन प्रदेशों से प्रदेश के श्रमिक वापस आये उनमें गुजरात से 2 लाख 15 हजार, राजस्थान से 1 लाख 27 हजार, महाराष्ट्र से 1 लाख 35 हजार श्रमिक वापस लाये गये इसके अतिरिक्त गोवा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, केरल आंध्रप्रदेश, तमिलनाडू और तेलंगाना से श्रमिक मध्यप्रदेश में वापस आये।

कोरोना संकट काल में प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, उनकी रोजी–रोटी की चिंता की रोजगार की सुरक्षा पर बल दिया सरकार के ये प्रयास सदैव याद किये जायेंगे।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहल करते हुए नीति आयोग भारत सरकार के निर्देश पर प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग श्री उमाकांत उमराव ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर को पत्र प्रेषित कर उन्नति पोर्टल एवं राज्य के रोजगार सेतु पोर्टल के प्रचार–प्रसार हेतु कार्य योजना प्रेषित कर बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने हेतु महत्वपूर्ण कार्य करने के निर्देश दिये हैं। ताकि रोजगार या बेहतर रोजगार के अवसर हेतु इच्छुक व्यक्ति इस सुविधा का अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सके।

मध्यप्रदेश में जहाँ एक ओर नए स्थापित होने वाले उद्योगों के लिए श्रम कानूनों में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं वहीं दूसरी ओर असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए संबल योजना तथा निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों तथा उनके परिवारजनों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है।

आशा की जाना चाहिए कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा गठित प्रवासी श्रमिक आयोग के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं का गहराई से अध्ययन होगा तथा उनके कल्याण, बेहतरी तथा सुरक्षित भविष्य के लिए कारगर उपाय किये जायेंगे वहीं संगठित क्षेत्र में विभिन्न औद्योगिक इकाईयों तथा स्थापनाओं में काम करने वाले लाखों श्रमिकों के कौशल उन्नयन तथा बेहतर भविष्य के लिए नीति का निर्धारण किया जायेगा।

वैश्विक महामारी के प्रकोप से समाज को उबारने के लिये उदारीकृत श्रम सुधारों की आवश्यकता

यह सर्वविदित है कि 'श्रम' भारत के संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची का एक विषय है। राज्य विधान सभा द्वारा निर्मित कानूनों को लागू कर सकते हैं ,लेकिन उन्हें केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता पड़ती है। **COVID**–19 या कोरोन वायरस के प्रसार को रोकने के लिये लंबे समय तक जारी लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित कई राज्यों ने अध्यादेशों या कार्यकारी आदेशों के माध्यम से श्रम कानूनों में परिवर्तन की नींव रखी है।

भारत में विगत कई वर्षों से श्रम क्षेत्र में सुधारों की मांग की जाती रही है , ये मांग न सिर्फ उद्योगों की ओर से बल्कि समय–समय पर श्रमिक संगठनों तथा बुद्धिजीवी वर्गों की ओर से भी की जाती रही है। किंतु विभिन्न हितधारकों के हितों को एक साथ सुनिश्चित करने की जरूरत के कारण श्रम सुधार उपेक्षित होते रहे हैं। भारत में व्यवसाय को सुगम बनाने तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिये भी श्रम सुधारों को ज़रुरी माना जाता है। उदारवादी आर्थिक विशेषज्ञ भी श्रम सुधारों के पैरोकार रहे हैं। कई आर्थिक जानकारों का तो यहाँ तक मानना रहा है कि श्रम कानूनों के कठोर नियमों की वजह से ही न सिर्फ औद्योगिक उत्पादन पर विपरीत असर पड़ा है बल्कि विदेशी कंपनियाँ भी भारत में निवेश करने में संकोच कर रही हैं।

डॉ. योगेश माहोर, एक्सपर्ट, सोशल सेफगार्ड्स एण्ड सी.डी., MPUDC, भोपाल विश्व बैंक परियोजना

अर्थ व्यवस्था में इन सुधारों के मांग के क्रम में ही **COVID**–19 अर्थात कोरोना वायरस के प्रसार ने भी व्यापक प्रभाव डाला है। वर्तमान में आर्थिक गतिविधियाँ बंद हैं। इस समय जहाँ उद्योगों के समक्ष कार्य संचालन की समस्या है तो वहीं श्रमिकों के समक्ष रोज़गार का संकट है। ऐसी स्थिति में सरकार उद्योगों का कार्य संचालन प्रारंभ कराना चाहती है परंतु तमाम उद्योगपति जारी श्रम कानूनों के चलते उद्योगों को प्रारंभ करने में सशंकित हो सकते है। ऐसे में कई राज्यों की सरकारों द्वारा किये जा रहे श्रम कानूनों में बदलाव सामाजिक एवम् आर्थिक व्यवस्था के लिहाज़ से सकारात्मक कदम साबित हो सकते हैं।

श्रम अधिनियम से तात्पर्य श्रम अधिनियम या श्रम कानून, सरकारों द्वारा निर्मित उन कानूनों को कहते हैं जो श्रमिक, रोजगार प्रदाताओं, ट्रेड यूनियनों तथा सरकार के बीच संबंधों को परिभाषित करते हैं। श्रमिक, समाज के विशिष्ट समूह होते हैं। इस कारण श्रमिकों के लिये बनाए गये विधान, सामाजिक विधान की एक भिन्न श्रेणी में आते हैं।

हाल ही में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किये गए प्रमुख श्रम सुधार

– उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले तीन वर्षों के लिये कुछ प्रमुख श्रम कानूनों को छोड़कर लगभग 35 श्रम कानूनों के प्रावधानों से व्यवसायों को छूट देने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।

– औद्योगिक विवादों, व्यावसायिक सुरक्षा, श्रमिकों के स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति, ट्रेड यूनियनों, अनुबंधित श्रमिकों और प्रवासी मज़दूरों से संबंधित श्रम कानूनों के प्रावधान निर्धारित समय के लिये प्रचलन में नहीं रहेंगे। हालांकि, बंधुआ मज़दूरी, बच्चों व महिलाओं के नियोजन संबधित श्रम अधिनियम और वेतन संदाय अधिनियम से संबंधित कानूनों में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

– उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्योगों को शुरू करने के लिये लो जाने वाली अनापत्ती प्रमाणपत्र (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) आटोमोड पर करने की तैयारी की है। इसके तहत अब व्यापारियों को उद्योग शुरू करने के लिये विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

– उत्तर प्रदेश सरकार ने 90 दिन रोज़गार सृज़न के लिये 'एक जिला एक उत्पाद' योजना को बढ़ावा देने का प्रस्ताव रखा है।

– मध्यम, सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को स्थापित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा ऋण देने की भी व्यवस्था की जा रही है।

– श्रम कानूनों में मौजूदा परिवर्तन पुराने कारोबार तथा राज्य में स्थापित किये जा रहे नए कारखानों पर लागू होगा।

इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ने भी अगले 1000 दिनों के लिये कई श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है। इनमें कुछ महत्त्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार हैं:

– नियोक्ता कर्मचारियों की सहमति से कारखानों में काम की अवधि 8 से 12 घंटे तक बढ़ा सकते हैं। सप्ताह में ओवर टाईम की अवधि अधिकतम 72 घंटे तक सुनिश्चित की जाएगी।

– कारखानों का पंजीकरण 30 दिनों के बजाय अब एक दिन में किया जाएगा। इसके साथ ही लाइसेंस का नवीनीकरण अब प्रति वर्ष करने के स्थान पर 10 वर्षों बाद किया जाएगा। उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं करने वाले अधिकारियों पर जुर्माने का भी प्रावधान है।

– औद्योगिक इकाइयों को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधिकांश प्रावधानों से छूट दी जाएगी। जैसे- संस्थान (संगठन) अपनी सुविधानुसार श्रमिकों को सेवा में रखने में सक्षम होंगे तथा श्रम विभाग या श्रम न्यायालय, उद्योगों द्वारा की गई कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

– 50 से कम श्रमिकों को नियुक्त करने वाले ठेकेदार, ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत पंजीकरण के बिना भी कार्य करने में सक्षम होंगे।

राज्य में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयों के लिये प्रमुख छूट इस प्रकार हैं:

– नई औद्योगिक इकाइयों को पंजीकरण करने और समय–समय पर होने वाले निरीक्षण की औपचारिकताओं से छूट दी गई है और अपनी सुविधानुसार औद्योगिक इकाइयों के कार्य संचालन का समय निर्धारित करने की भी शक्ति दी गई है।

– श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामले में नियोक्ता को दंड से भी छूट प्रदान की गई है। राज्यों में निवेश को आकर्षित करने और औद्योगिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये श्रम कानूनों का उदारीकरण करना बहुत आवश्यक है। इन प्रयासों के द्वारा ही मौजूदा श्रमिकों के रोज़गार की रक्षा और उन श्रमिकों को रोज़गार प्रदान करने की संभावना है जो अपने राज्यों से पलायन कर गए हैं। लंबे चलने वाले इस संकट के दौरान प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और संकट ग्रस्त अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को अवसरों में बदलना होगा। **COVID**–19 के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के कारण राज्यों के राजस्व को बढ़ाने के लिये यह एक कारगर विकल्प साबित होगा।

श्रम सुधार का विचार अचानक से नहीं आया है बल्कि यह लंबे समय से उद्योगों की मांग रही है। वर्तमान में परिवर्तन आवश्यक हो गए थे क्योंकि निवेशक जारी कानूनों

शेष पृष्ठ 5 पर....

शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना वर्ष 2020-21

कार्यालय उपयोग हेतु
उतीर्ण कक्षा श्रेणी .....
वर्तमान कक्षा श्रेणी .....संस्थान चालू अथवा बंद .....
आय वर्ग (1).....(2).....(3).....अभिदाय जमा कराने की स्थिति (Y)..... (N).....
आवेदन पत्र पूर्ण/अपूर्ण आवेदन निरस्तीकरण का कारण .....

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल
83,मालवीय नगर,भोपाल-03
EMAIL:mplabourwelfareactiviy@gmail.com

शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना
अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2020

आवेदक छात्र/छात्रा का नवीनतम स्व सत्यापित फोटो चस्पा करना अनिवार्य है।

प्रति,
कल्याण आयुक्त,
म.प्र.श्रम कल्याण मंडल,
83,मालवीय नगर,भोपाल-03

1 आवेदक (छात्र/छात्रा) का नाम :.....
2 पिता/माता नाम श्री/श्रीमति :.....
3 निवास का पूर्ण पता :.....
.....
4 दूरभाष..... निवास..... मोबाइल नं.....
5 जाति का निशान लगाये अ.जा.....अ.ज.जा. .....पि.वर्ग .....सामान्य .....
6 संस्थान/स्थापना का पूरा नाम/पता:.....
(जिसमे माता-पिता/अभिभावक कार्यरत है)
7 संस्थान/स्थापना का दूरभाष नम्बर: .....
8 संस्थान/स्थापना का अभिदाय कोड क्र. .....
9 संस्थान का ई मेल आई.डी.....
10 आवेदक छात्र/छात्रा की वर्तमान कक्षा जिसमें वह अध्ययनरत है.....
11 विगत कक्षा जो छात्र/छात्रा द्वारा उत्तीर्ण की गई है. एवं वर्ष.....
(उतीर्ण कक्षा की अंकसूची की सत्यापित फोटो कापी, संलग्न करे)
12 उत्तीर्ण की गई कक्षा में पूर्णांक.....प्राप्तांक.....प्रतिशत.....
13 आवेदक का ई.मेल आई.डी. .....
14 आवेदक छात्र/छात्रा का बैक खाता क्र ..... बैंक का नाम.....
बैंक का IFS कोड .....आधार पत्र(U.I.D)क्र .....
(नवीनतम बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्व सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है)

संस्थान/स्थापना द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति.....वर्तमान में हमारे संस्थान में पद.....पर कार्यरत है (संस्थान में ठेकेदार के माध्यम से कार्यरत श्रमिक होने पर) ठेकेदार की स्थापना का नाम व पता .....है। इनकी कुल मासिक आय .....है तथा इनका ई.पी.एफ क्र. .....व ई.एस.आई.क्र .....है।

नियोजक का नाम
हस्ताक्षर,व पद मुद्रा

घोषणा-पत्र

मैं श्री/कुमारी.....शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे पिता/माता श्री/श्रीमति.....कारखाना/संस्थान.....में .....पद पर कार्यरत है तथा इनकी मासिक आय.....है। मै वर्तमान में कक्षा.....में विद्यालय/ महाविद्यालय .....में अध्ययनरत हूँ। मुझे वर्तमान में .....विभाग से राशि रू.....छात्रवृत्ति के रूप में प्राप्त हो रही है। मेरे द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित जानकारी पूर्णत: सत्य है। जानकारी असत्य पाई जाती है तो आवेदन पत्र निरस्त करने का अधिकार मंडल कार्यालय का होगा।

हस्ताक्षर
छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर **माता/पिता के हस्ताक्षर** **प्रधानाचार्य/प्राचार्य के हस्ताक्षर व मुद्रा**

नियमावली

1 म.प्र.श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अन्तर्गत आने वाली, मध्यप्रदेश में स्थापित समस्त औद्योगिक इकाई/स्थापना में कार्यरत श्रमिकों के पुत्र-पुत्री इस योजना में आवेदन कर सकते है। एक श्रमिक के दो ही बच्चों को योजना का लाभ मिल सकेगा।

2 इस आवेदन पत्र की फोटोकॉपी भी मान्य होगी। आवेदन के सभी कालम स्पष्ट भरना तथा सहपत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अपूर्ण, गलत एवं अस्पष्ट आवेदन पत्र मान्य नहीं होगें।

3 आवेदन पत्र के साथ विगत उर्तीण कक्षा की अंकसूची, छात्र/छात्रा का नवीनतम फोटो, बैंक पासबुक के मुख पृष्ठ की स्पष्ट छायाप्रति जिसमें खाता क्रमांक, आईएफएस कोड, नाम सहित उल्लेख हो स्वंय सत्यापित कर संलग्न करना अनिवार्य है।

4 आवेदन-पत्र में चाहे गये अभिलेखों की छायाप्रति के साथ आवेदन पर नियोजक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा, आवेदक का आधार नम्बर तथा आधार पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है एवं विद्यालय/महाविद्यालय के प्राचार्य के हस्ताक्षर, पदमुद्रा, वांछनीय है।

5 इस योजना में कक्षा 10 वी,12 वी में एम.पी.बोर्ड परीक्षा में 75:से अधिक तथा सी.बी.एस.सी./ ईसीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में 85: से अधिक प्राप्तांक होने पर, पात्रता होगी तथा स्नातक, स्नाकोत्तर एवं बी.ई. की परीक्षा में 70: से अधिक प्राप्तांक होने पर तथा विगत एवं वर्तमान परीक्षा के मध्य बैक(गैप) नहीं होने पर पात्रता होगी। इसी प्रकार एम.बी.बी.एस. परीक्षा में 60:से अधिक तथा विगत एवं वर्तमान परीक्षा के मध्य बैक(गैप) नहीं होने पर इस योजना में आवेदन किया जा सकता है।

6 आवेदन पत्र क्षेत्रीय कार्यालय/कल्याण केन्द्र एवं जिला श्रम कार्यालय से प्राप्त कर सकते है एवं आवेदन पत्र भरकर क्षेत्रीय कार्यालय/कल्याण केन्द्र में जमा कर सकते है। उक्त योजना में किसी भी प्रकार की (चयन/ निरस्तीकरण)संबधी जानकारी संबधित क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय/कल्याण केन्द्रो से प्राप्त की जा सकेगी।

7 योजना में चयनित छात्र-छात्रा को वितरित की जाने वाली छात्रवृत्ति राशि सीधे आवेदक छात्र/छात्रा के बैंक खाते में स्वीकृति उपरांत हस्तांतरित की जायेगी अथवा छात्र/छात्रा को अकाउंट पेयी चेक के माध्यम से दी जायेगी।

8 अपूर्ण तथा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

9 योजना से सबंधित किसी भी विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय कल्याण आयुक्त का होगा।

10 शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य/प्राचार्य से अनुरोध है कि औद्यौगिक इकाई स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों के अध्ययन पुत्र-पुत्रियों को मंडल की शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है। अत: कृपया आवेदन पत्र सत्यापित करने का कष्ट करें।

कल्याण आयुक्त
म.प्र.श्रम कल्याण मंडल, भोपाल

वैश्विक महामारी के प्रकोप से .....

पृष्ठ 4 का शेष

और लाल फीताशाही के जाल में फँस गए थे। इस संकट के दौरान तमाम कंपनियाँ चीन से बाहर निकल रही हैं, ऐसे में उन कंपनियों तथा विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश के लिये आकर्षित करने हेतु श्रम कानूनों में सुधार की आवश्यकता थी। वर्तमान में लगभग 25 प्रतिशत की भारी बेरोज़गारी दर का सामना कर रहे राज्यों के लिये रोज़गार सृजन का यह एक बेहतरीन अवसर साबित हो सकता है।

बदलते स्वरुप मे श्रमिकों के हितो का चिन्तन

- उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम सहित लगभग सभी श्रम कानूनों को सरसरी तौर पर निलंबित कर दिया है। इसलिये इस कदम को 'शोषण के लिये एक सक्षम वातावरण निर्मित करने' के रूप में देखा जाना स्वाभाविक है। जो निश्चित तौर पर एक चर्चा का विषय है।

- श्रम कानूनों के निलंबन से मज़दूर, पूँजीपतियों पर पूरी तरह से निर्भर हो गए जिससे बंधुआ मज़दूरी जैसी प्रथा के एक नए स्वरुप में प्रचलित होने की संभावनाएँ प्रबल हो गई हैं।

- श्रम कानूनों के निष्प्रभावी होने से मज़दूरों को मिलने वाली समस्त सुविधाएं जैसे-भविष्य निधि, बोनस, न्यूनतम मज़दूरी, स्वास्थ्य सुरक्षा आदि की समीक्षा तथा वैकल्पिक व्यवस्था की जाना अनिवार्य है।

- संशोधित श्रम सुधारों के द्वारा मजदूरों को प्राप्त होने वाली सामाजिक सुरक्षा से भी समझौता किया गया है, जो निश्चित तौर पर एक चर्चा का विषय है। सरकारी हस्तक्षेप या प्रशासनिक सर्जरी की जगह आंतरिक

सुरक्षा प्रक्रिया एवं शिकायत निवारण तंत्र (**Grievances Readdress Mechanism**) को बढ़ावा देकर विवाद सुलझाने के तंत्र को अधिक सक्षम बनाना चाहियें

- यह भी संभावना है कि श्रम कानूनों के निष्प्रभावी होने से संगठित क्षेत्र के रोज़गार भी असंगठित क्षेत्र के रोज़गार में परिवर्तित हो जाएँगे। जिससे मज़दूरी दर में तीव्र गिरावट संभावित है।

- श्रम कानूनों के जारी संशोधन रोज़गार को बढ़ावा देने के विषय पर निश्चित रूप से, कहा जा सकता है कि कम श्रम विनियम वाले बाज़ार में अधिक रोज़गार उत्पन्न करना संभव है। हालाँकि, जैसा कि अतीत में श्रम कानूनों में ढील देने वाले राज्यों के अनुभव बताते हैं कि श्रमिक संरक्षण कानून, निवेश को आकर्षित करने और रोज़गार बढ़ाने में विफल रहे हैं। यदि यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा थी कि अधिकाधिक लोगों को रोज़गार मिले, तो राज्यों को काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने के बजाय इसके प्रत्येक 8 घंटे की दो शिफ्ट की अनुमति देने कि विकल्प पर विचार करना चाहिये था, ताकि अधिकाधिक लोगों को रोज़गार मिल सके।

- वर्तमान स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक गतिविधियों को प्रारंभ करना आपूर्ति श्रृंखला को निर्बाध रूप से चलाए रखने के लिये आवश्यक है, इसलिये उदारीकृत श्रम सुधारों की आवश्यकता है।

श्रम सुधारों के ज़रिये ही विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है, जो इस समय रोज़गार सृजन के लिये अति आवश्यक है। सरकार को श्रम कानूनों में सुधार करते समय मजदूरों के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिये ताकि उन पर इन सुधारों का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी विचार हैं।

कल्याण आयुक्त मप्र श्रम कल्याण मण्डल, 83, मालवीय नगर, भोपाल असंदत्त संचित राशि जाहिर सूचना

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की धारा 8 (2) के अनुसार देय असंदत्त संचित राशि जिन संस्थानों से प्राप्त हुई है, उन संस्थानों के नाम तथा संबंधित कर्मचारियों की सूची, असंदत्त संचित राशि के साथ धारा 8 (क तथा ख) के अनुसार प्रकाशित की जा रही है। प्रकाशन के बाद जिन श्रमिक, कर्मचारियों के दावे प्रकाशन तिथि से 180 दिवसों के भीतर प्राप्त होगें, उन्हें अधिनियम की धारा 8 (5), (6) के अनुसार भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

पिछले अंक का शेष

सागर यार्न

ई-2/4, अरेरा कॉलानी, हबीबगंज रेल्वे स्टेशन के सामने, भोपाल-462016

22	विजया केवट	288
23	नारायण	24
24	उमेश्वरी	166
25	लीलाधर	91
26	उत्तम	1226
27	दीपक गार्गव	3
28	लालाराम	20
29	पुष्पा नाविक	48
30	सज्जन नामदेव	33
31	ललीता उईके	506
32	अनीता	190
33	संतोषी	166
	कुल	**4263**

व्हाईट क्लिफ टी प्रा.लि.
ए.बी. रोड, राउखेड़ी,
इंदौर- 453771, म.प्र.

1	अजय माहरबार सिंह	393
2	अजय सोदान सिंह	627
3	आकाश जगदीश पवार	197
4	दिलीप रमेश हदमचा	197
5	रोहित चम्पालाल परमार	590
	कुल	**2004**

व्हाईट क्लिफ टी प्रा.लि.
ए.बी. रोड, राउखेड़ी,
इंदौर- 453771, म.प्र.

1	अजय सोदान सिंह	197
2	अमित जानकीलाल चौहान	197
3	अनिल गोवनधन सोलंकी	590
4	अविनाश गौरीशंकर	197
5	बाने सिंह कालुराम गुजराती	393
6	भोलाराम देवजी सोलंकी	197
7	दिलीप रमेश हदमचा	309
8	जितेंद्र आत्माराम चौहान	309
9	महेश विश्वकर्मा	197
10	मनोज तंवर	197
11	मिथुन अंतर सिंह	197
12	मोहन बाबूलाल मालवीय	197
13	नीतेश सतीश जैसवाल	197
14	पवन गेहलोद	86
15	राजकुमार हुकुमसिंह पटेल	197
16	रोहित चम्पालाल परमार	197
17	रोहित जगदीश पटेल	197
	कुल	**3939**

व्हाईट क्लिफ टी प्रा.लि.
ए.बी. रोड, राउखेड़ी,
इंदौर- 453771, म.प्र.

1	अक्षय भाऊसिंह परमार	414
2	अनिल अजयलाल राजौरिया	207
3	अरूण बद्रीलाल नरवरिया	207
4	अरविंद अम्बराम सोनी	207
5	अरविंद निर्मल जोशी	414
6	भेरू बाबूलाल मालवीय	207
7	महेश कल्याण गगरार्डिया	207
8	महेश करण सिंह	207
9	ममता बाई रावत	207
10	मेहरबान बंसीलाल चौहान	207
11	नरेंद्र निर्भय सिंह चौधरी	207
12	नयन कमलेश वर्मा	207
13	नितिन सीताराम चितरोडे	207
14	प्रकाश चौहान	207
15	प्रकाश फतरोड	414
16	राधेश्याम अम्बाराम चौधरी	207
17	राधेश्याम प्रजापत	414
18	राहुल ठाकुर शिंदे	207
19	रोहित मुकेश मालवीय	207
20	रोहित राधेश्याम खांडेकर	207
21	सचिन सुरेंद्र	207
22	संजय भवरलाल पवार	207
	कुल	**5382**

व्हाईट क्लिफ टी प्रा.लि.
ए.बी. रोड, राउखेड़ी,
इंदौर- 453771, म.प्र.

1	अनिल घासीराम गुजराना	206
2	दशरथ रामेश्वर	206
3	दिनेश विजय सिंह चौहान	206
4	करण निर्भय सिंह चौधरी	206
5	नितिन पुरण सिंह	206
6	प्रकाश सीताराम अहिरवार	206
7	राजेश नारायण सिंह	206
8	संतोष देवकरण सरदिया	206
	कुल	**1648**

व्हाईट क्लिफ टी प्रा.लि.
ए.बी. रोड, राउखेड़ी,
इंदौर- 453771, म.प्र.

1	दीपक रमेश सोलंकी	216
2	धर्मेंद्र बद्रीलाल प्रजापत	216
3	जगदीश हिम्मत सिंह दाबी	216
4	मोहन नागार्जुन दियमा	216
5	सुमित्रा छोटेलाल रावत	215
	कुल	**1079**

व्हाईट क्लिफ टी प्रा.लि.
ए.बी. रोड, राउखेड़ी,
इंदौर- 453771, म.प्र.

1	पुखराज दीपक बैरागी	431
2	सोनू चंदन सिंह	431
	कुल	**862**

व्हाईट क्लिफ टी प्रा.लि.
ए.बी. रोड, राउखेड़ी,
इंदौर- 453771, म.प्र.

1	ईश्वर पोप सिंह जाधव	216
2	लखन भैरू सिंह वर्मा	216
3	लखन रमेश	216
4	लोकेंद्र रामप्रसाद पवन	216
5	मनीष प्रदीप ठाकुर	216
6	मनप्रीत बिंदर सिंह	431
7	नीतेश माधव तिवारी	216
8	रमेश तेजु सिंह चौहान	431
9	संजय हरिसिंह	216
	कुल	**2374**

व्हाईट क्लिफ टी प्रा.लि.
ए.बी. रोड, राउखेड़ी,
इंदौर- 453771, म.प्र.

1	मुकेश गोपाल पटेल	655
2	राजकुमार संजय मंडलोई	436
3	संतपाल ओमशंकर सिंह	219
4	सुरेश करण सिंह मेवाडा	1255
	कुल	**2565**

व्हाईट क्लिफ टी प्रा.लि.
ए.बी. रोड, राउखेड़ी,
इंदौर- 453771, म.प्र.

1	अजय बद्रीलाल सरगारा	218
2	अजय गजेंद्र मुनिया	218
3	दीपक परमानंद रावत	435
4	महादेव मांगीलाल बघेल	872
5	महेश गोपाल पाटीदार	218
6	प्रवीण प्रेमसिंह सोनाने	496
7	राधेश्याम मोहनलाल	218
8	रेखा बाई जगदीश सोलंकी	219
9	रोहित राजेश दिमा	219
10	संजय बाबूलाल मालवीय	219
11	सुभाष गंगाराम तिपानिया	219
12	सुमित सत्यनारायण पटेल	655
13	सुरेश पटेल	219
14	विजय देवकरण रावत	219
15	विजय जगदीश परिहार	219
	कुल	**4863**

व्हाईट क्लिफ टी प्रा.लि.
ए.बी. रोड, राउखेड़ी,
इंदौर- 453771, म.प्र.

1	गणेश लक्ष्मीनारायण	209
2	मनीष जयराम शिवहरे	209
3	फूल सिंह रज्जू यादव	645
	कुल	**1063**

व्हाईट क्लिफ टी प्रा.लि.
ए.बी. रोड, राउखेड़ी,
इंदौर- 453771, म.प्र.

1	मनोज हरिशचंद्र	38
2	गौरव मनोहर जोशी	38
3	मनोज जगन्नाथ	38
4	अमित रामनिवास पवार	38
5	संदीप सामनदेर सिंह	418
6	श्याम शिवराम	152
	कुल	**722**

व्हाईट क्लिफ टी प्रा.लि.
ए.बी. रोड, राउखेड़ी,
इंदौर- 453771, म.प्र.

1	अमरसिंह भवर सिंह	38
2	गौरीशंकर रमेश चंद्र	152
3	गोविंद रघुनंदन पांचाल	38
4	प्रदीप हरिओम	114
5	राकेश शिवराम	38
6	श्याम शिवराम	266
	कुल	**646**

व्हाईट क्लिफ टी प्रा.लि.
ए.बी. रोड, राउखेड़ी,
इंदौर- 453771, म.प्र.

1	अनिल मनोहर	76
2	अर्जुन रतन सिंह	76
3	आशीष भवरलाल	38
4	अविश भवरलाल	38
5	लखन चौहान	114
6	मोहन किशनजी बामनिया	35
7	राकेश शिवराज	114
8	रंजीत भगवान	76
9	विकास संतोष रावत	532
10	विशाल संतोष रावत	418
11	अनिल रमेश चौहान	76
12	जीवन दुलाराम धीमलिया	76
13	राजेंद्र जगदीश बोदाना	76
14	राम परमार शंकर परमार	20
15	संजय विक्रमलाल मालवीय	76
16	श्यामलाल नाथुराम	63
	कुल	**1904**

व्हाईट क्लिफ टी प्रा.लि.
ए.बी. रोड, राउखेड़ी,
इंदौर- 453771, म.प्र.

1	अर्जुन मुरारीलाल	82
2	लखन सालिग्राम	71
3	ओमप्रकाश उदम सिंह	22
4	राजेश शेरू चौहान	120
5	संजय देवीलाल परिहार	40
6	शांतिलाल अम्बाराम	298
	कुल	**633**

व्हाईट क्लिफ टी प्रा.लि.
ए.बी. रोड, राउखेड़ी,
इंदौर- 453771, म.प्र.

1	अनिल रमेश चौहान	40
2	धर्मेंद्र पुरन सिंह	60
3	अजय रमेशचंद	40
4	जितेंद्र हीरालाल	40
5	सचिन गिरधारीलाल	40
6	सुरेशचंद्र भगवान सिंह	40
7	राकेश अनूप कहार	40
8	अनिल गजानंद	40
9	गोपाल कृष्णा कहार	40
10	दीपक मानसिंह	43
11	राहुल बद्रीलाल	40
12	रविंद्र रामू सोलंकी	40
	कुल	**503**

व्हाईट क्लिफ टी प्रा.लि.
ए.बी. रोड, राउखेड़ी,
इंदौर- 453771, म.प्र.

1	अविश भंवरलाल	42
2	संजय देवीलाल परिहार	42
3	कमलेश शांतिलाल	46
4	सुमित कानीराम मालवीय	46
5	पंकज राजेंद्र चौहान	23
6	संतोष देवकरण सरोलिया	29
7	ओमप्रकाश पूरन सिंह	83
8	आकाश भागीरथ निहाले	42
9	अरूण बाबूलाल	42
10	तूफान इंद्र सिंह	42
11	अकलेश चैन सिंह	83
12	रोहित मुरारीलाल	42
13	महेंद्र सोहन पटेल	42
14	महेश कल्याण सिंह	46

पृष्ठ 6 का शेष

15	सोनू गोपाल परिहार	46
16	शेखर इंद्र सिंह	42
17	संतोष पदम सिंह	42
18	मोहन नगरजीराम	42
19	प्रकाश सिंह	42
	कुल	**864**

व्हाईट क्लिफ टी प्रा.लि.
ए.बी. रोड, राउखेड़ी,
इंदौर- 453771, म.प्र.

1	जोरावर दुलेसिंह रावत	84
2	नवीन दिनेश सरवन	42
3	वासुदेव मानसिंह	70
	कुल	**196**

व्हाईट क्लिफ टी प्रा.लि.
ए.बी. रोड, राउखेड़ी,
इंदौर- 453771, म.प्र.

1	अरूण बाबूलाल नरवरिया	42
2	ओमप्रकाश पूरण सिंह	42
3	पिंटू दिलीप राजौरिया	510
4	राधेश्याम लाबोनिया	196
5	राधेश्याम सीताराम	23
6	राजेश दिलीप परमार	262
7	रंजीत गनपत सिंह	65
8	संतोष रामलाल पटेल	42
9	सुरेश पटेल	42
10	विजय सोदान सिंह रावत	42
	कुल	**1266**

व्हाईट क्लिफ टी प्रा.लि.
ए.बी. रोड, राउखेड़ी,
इंदौर- 453771, म.प्र.

1	फूल सिंह रज्जू यादव	228
2	प्रदीप हरिराम रावत	200
3	रंजीत मुकेश मालवीय	23
4	रविंद्र रामू सोलंकी	42
5	सरवन जगदीश बामनिया	23
6	सुमित कानिराम मालवीय	42
	कुल	**558**

व्हाईट क्लिफ टी प्रा.लि.
ए.बी. रोड, राउखेड़ी,
इंदौर- 453771, म.प्र.

1	बंशीलाल शंकरलाल मालाकर	1507
2	इंदर दास लखनदास बैरागी	1094
3	जितेंद्र बाबूलाल चंद्रवंशी	1476
4	जितेंद्र रमेश्वर यादव	912
5	कमल कैलाश मंडलोई	678
6	कन्हैया महेश पटेल	567
7	लहासे संगपाल अकोश	519
8	लक्ष्मी कुशवाह(लेडी सिक्यूरिटी)	864
9	श्रीलाल नन्नूलाल	1166
10	पंकज कैलाश पटेल	624
11	पंकज सतीश कटारिया	1072
12	रघुवीर मोहन चौहान	1476
13	राहुल बहादुर पटेल	1679
14	राहुल छगनलाल राठौर	678
15	राम अजब सिंह	1461
16	विजय छगनलाल प्रजापत	2171
17	विजय संतोष पटेल	795
18	विशाल महेश व्यास	735
	कुल	**19474**

व्हाईट क्लिफ टी प्रा.लि.
ए.बी. रोड, राउखेड़ी,
इंदौर- 453771, म.प्र.

1	मिल जैसी पी के	749
	कुल	**749**

मनीष पाईप्स प्रा.लि.
मर्लिन जयश्री विहार, पंडरी तरई
रायपुर, छ.ग.- 492004

1	शंकर	500
2	रविशंकर	2200
3	राजेश (छोटा)	2400
4	बसंत	2000
5	मुकेश	2000
6	गोलू	2000
7	हेतराम	2000
	कुल	**13100**

आईसीआईसीआई बैंक लिमि.
प्लॉट नं. 11 अलंकार पैलेस एम.पी.
नगर ज़ोन टू भोपाल

1	सनी बडगोट्या	1937
2	गणेश गोयटे	5717
3	पुष्पेंद्र दांगी	3406
4	विवेक गौतम	4006
5	राहुल सिंह चौहान	2809
6	शिवेंद्र विश्वकर्मा	608
7	राहुल त्रिपाठी	2670
8	भरत लाल धुर्वे	4553
9	रवि वैरागी	1679
10	अविनाश कुमार सिंह	1404
11	धनंजय उईके	1795
12	शुभम कुमार साहू	3966
13	अनिरूद्ध पाटील	894
14	अजय कुमार शर्मा	2827
15	राहुल शर्मा	4014
16	अनुराग खरे	1572
17	विनोद कुमार वर्मा	5947
	कुल	**49804**

आईसीआईसीआई बैंक लिमि.
प्लॉट नं. 11 अलंकार पैलेस एम.पी.
नगर ज़ोन टू भोपाल

1	दशरथ लबाना	3946
2	राज कुमार यादव	426
3	अक्षय कुमार	3303
4	सौरव दत्ता	3827
5	रविंद्र जसोना	3827
6	सत्यम नगर	8994
7	रविंद्र जासोना	884
8	प्रमोद यादव	3707
9	कपिल अवस्थी	7153
10	हरिशंकर गौर	2837
11	देवेंद्र बघेल	1318
12	अथिंदर सिंह	4781
13	कृष्णा कृष्णा	3285
14	कृष्णा कांत पाण्डे	3285
15	सोदान सिंह राठौर	3410
16	गोलू मीना	3410
17	कुलदीप त्रिपाठी	4232
	कुल	**62625**

द ग्वालियर फोरेस्ट प्रॉडक्टस लिमि.
पी.ओ. कथामिल - 473551
शिवपुरी म.प्र.

1	दीपक राठौर	1829
2	निर्मल यादव	730
3	सेवक कुशवाह	666
	कुल	**3225**

वी.ई. कमर्शियल व्हीकल्स
102 इंडस्ट्रीयल एरिया नं.1
पीथमपुर-454775 जिला धार म.प्र.

1	आत्मा राम शर्मा	700
2	कलियापेरूमल टी	7000
3	अजय गुप्ता	4448
4	नरेंद्र कुमार	8332
5	अभिजीत कुमार जे	5507
6	मकरंद पुरूष	5792
7	अभिषेक कुमार	6081
8	मनोज राठौर	4219
9	विजय पाल	1615
10	रोहन सुहास कर	6137
11	भूषण उज्वल उदर	2613
12	लक्ष्मीनारायण पी	4526
13	प्राची मिश्रा	321
14	प्रकाश सनप	247
15	ज्ञानचंद लोधा	1175
16	थनेकर गोविंद पांड	1400
17	राहुल दौलत गंगर्ड	1355
18	क्षिरसागर ध्यानेश	1400
19	उगाले ईश्वर ध्यानेश	1400
20	अंगल राजेंद्र नंद	1400
21	दुर्गा शंकर प्रजापति	1400
22	स्वाप्रिल जांके	1400
23	अंकित भगत	1400
24	प्रफुल्ल घटोल	1400
35	समाधान सवेले	1400
36	अरूण के प्रजापति	1400
37	विनोद इंगले	1400
38	प्रदीप सिंह कुशवाह	1400
39	चंदन चौहान	1400
40	प्रताप सिंह	1378
41	संगीता चौबे	1378
42	कांता कुशराम	1400
43	सागर युवराज जढ़ाओ	1400
44	अनिल कुमार	460
45	संजय कुमार इकनोरिया	470
46	राजू सोनी	470
47	दीपक कुमार दोडीया	397
48	गोविंद मौर्य	470
49	अभिषेक ठक्कर	470
50	माधव चौहान	555
51	ऋषिराम धावले	569
52	मनीष कुम्भरे	569
53	विकास पाठक	569
54	राजेश चौहान	569
55	सहदेव धाबके	569
56	गौरव पाटील	569
57	मंगल प्रसाद	551
58	साकेत कुमार जैयसवाल	564
59	ऋषि	511
60	विजय तिरोले	569
61	राकेश कुमार	594
62	सोहनलाल सोनानिया	776
63	विनोद कुमार	786
64	कमलेश गीड	786
65	दिनेश सराठे	786
66	राम किशोर मार्सकोले	786
67	राहुल भोई	786
68	धर्मेंद्र कुमार गौतम	752
69	गोविंद चौहान	786
70	घनश्याम मालवीय	825
71	दिनेश कुमार गुप्ता	840
72	दिपेश कुमार कुरमित	840
73	जसराज	1022
74	कपिल पाटील	1045
75	पुष्पेंद्र शर्मा	1045
76	राजेश	1045
77	महेश कुमार चौहान	1169
78	रविंद्र कुमार	1120
79	योगेश भोले	1183
80	कालीराम	1237
81	ललित कुमार फरकारेत	1319
82	श्रीकांत बोढ़ेत	1423
83	अमित कुमार नामदेव	1423
84	अभय कुमार सिंह	1455
85	नागजी परमार	1582
86	जितेंद्र ठाकुर	1550
87	आनंद पटेल	1587
88	प्रेमशंकर यादव	1587
90	सचिन वर्मा	1624
91	त्रिलोक बघेल	1624
92	कमलेश साहू	1643
93	राकेश बैरागी	1566
94	लालाराम फगनाट	1661
95	प्रेमचंद मारावी	1600
96	भूरेलाल रावत	1698
97	गणेश कुमार पटेल	1697
98	शशांक नामदेव	1608
99	अमोल गावलित	1635
100	अभिनव जैसवाल	1702
101	बबलू सहारे	1689
102	राजेश प्रजापति	1707
103	देवेंद्र बोढे	1523
104	प्रशांत कुमार तेम्भरे	1696
105	सुनिल कन्नोजे	678
106	लखन कुमार साहू	1706
107	राम विशाल धुर्वे	560
108	नीलेश चैरासे	1273
109	राजेश ठाकरे	1792
110	गणपत सिंह	1815
111	राकेश	1777
112	गजेंद्र कुमार चौधरी	1874
113	दुर्गेश कुमार बारसागडे	1788
114	हेमराज खरे	1869
115	भोजराज कसलीकर	1897
116	सोहन लाल कुशवाह	1852
117	शैल कुमार मारावी	1833
118	मिश्री लाल पटेल	1697

शेष अगले अंक में प्रकाशित

उपरोक्तानुसार सूची में उल्लेखित श्रमिकों से 180 दिवस के भीतर मंडल को दावा प्राप्त न होने पर उपरोक्त संबंध में निर्धारित समयावधि के पश्चात म.प्र. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 की धारा 8 (9) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

छोटे सिंह
कल्याण आयुक्त
दिनांक : 15 नवंबर 2020

आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक 65252/92 डाक पंजीयन क्रमांक मप्र/ भोपाल/ 303/2018–20

मासिक श्रमकल्याण

पताः 83, मालवीय नगर, भोपाल-462003 (मप्र)

भोपाल, 15 नवंबर, 2020

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत श्रमिकों को देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दर में

दिनांक 1.10. 2020 से रू 125.00 प्रतिमाह की वृद्धि

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत श्रमिकों को देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दर में दिनांक 01.10.2020 से रू 125.00 प्रतिमाह की वृद्धि होगी। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत 67 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के मासिक एवं दैनिक वेतन की पुनरीचित दरें घोषित की जाती है। जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) पर आधारित कर संबंद्ध की गई है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अन्तर्गत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जनवरी 2020 से जून 2020 तक की छः माही में कुल सूचकांक का औसत 329 रहा है। इसके कारण गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ऊपर 05 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में रूपये 25.00 प्रति बिन्दु की दर 5×25=125 रूपये (एक सौ पच्चीस) प्रतिमाह की वृद्धि श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गई है। इस प्रकार 01.10.2020 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता रूपये 2200.00 प्रतिमाह 84.62 प्रतिदिन देय है।

अतः श्रमायुक्त द्वारा घोषित महंगाई भत्ते की दरों के अनुसार दिनांक 1 अक्टूबर 2020 से आगामी 6 माहों के लिए 67 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 8400.00 या प्रतिदिन रूपये 323 अर्द्धकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 9257 या प्रतिदिन रूपये 356.00 कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 10635 या प्रतिदिन रूपये 409 तथा उच्च कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 11935 या प्रतिदिन रूपये 459 देय होगा।

कृषि नियोजन में गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (1014–983) = 31 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके आधार पर वर्तमान महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 186 रूपये की वृद्धि श्रमायुक्त द्वारा घोषित की गई है, जिसके आधार पर अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रूपये 6826 या प्रतिदिन रूपये 228 की मजदूरी महंगाई भत्ते सहित दिनांक 1.10.2020 से 31.03.2021 तक के लिए देय होगा।

अगरबत्ती नियोजन में गत छः माही का औसत 329 रहा है। जो इसके पूर्व की छः माही के औसत 324 से ज्यादा है इसके कारण गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (329–324) = 05 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है।

अगरबत्ती नियोजन में भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत 05 बिन्दुओं की वृद्धि होने के कारण 1.10.2020 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता मिलाकर साधारण अगरबत्ती के लिए रू. 43.40 तथा सुगंधित अगरबत्ती के लिए रू. 44 प्रति हजार अगरबत्ती की मजदूरी देय होगी।

स्पष्टीकरण –

(1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांको को राऊण्ड–अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9–7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

मंडल की योजनाओं का लाभ उठायें

भोपाल। मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल के कल्याण आयुक्त श्री छोटे सिंह ने प्रदेश के नियोजकों तथा श्रमिकों एवं श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए मंडल की श्रमिक कल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने की अपील की है। आपने कोविद–19 महामारी से बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खुद को एवं अपने परिवार को सुरक्षित रखने की अपील की है।

आपने कहा कि मंडल की विभिन्न योजनाओं हेतु निर्धारित आवेदन पत्र जमा करके योजनाओं का लाभ ले सकते हैं।

संबल योजना को और अधिक .. पृष्ठ 1 का शेष

जिन्हें श्रमिकों की आवश्यकता होती है, उनको पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे श्रमिकों को अपनी योग्यता एवं कुशलता के आधार पर रोजगार प्राप्त होता है। पंजीकृत श्रमिकों को केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न कलयाणकारी योजनाओं में सामाजिक सुरक्षा और हितलाभ प्रदान किया जाता है। समीक्षा बैठक में श्रमायुक्त श्री आशुतोष अवस्थी, उपसचिव श्रम श्री छोटे सिंह, संचालक कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें श्री बी.एल. बंगेरिया अपर श्रमयुक्त श्री पीके दुबे सहितऔर श्रम विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

नियोजकों हेतु आवश्यक सूचना

विषयः मप्र श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 एवं तत्संबंधी निर्मित नियम 1984 के अंतर्गत अभिदाय राशि भेजने के संबंध में।

मैं कल्याण आयुक्त मप्र श्रम कल्याण मंडल, भोपाल, इस सूचना के माध्यम से आपको सूचित करता हूँ कि मप्र श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के समस्त प्रावधान मप्र में स्थापित सभी कारखानों तथा ऐसी स्थापनाओं जिनमें 9 से अधिक श्रमिक किसी भी कार्य दिवस पर नियोजित हो, पर लागू होते हैं। मप्र शासन श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14/11/84 सोलह व दिनांक 11 नवम्बर 1987 द्वारा मप्र श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के समस्त उपबंध 14 नवम्बर 1987 से आपके उद्योग/ संस्थान पर प्रभावशील है। उक्त निधि अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक छह माह अर्थात् 30 जून एवं 31 दिसम्बर को श्रमिकों/ कर्मचारियों की संख्या के अनुसार प्रति श्रमिक 10/– रुपये प्रति छमाही एवं नियोजक की ओर से 30 रुपये प्रति श्रमिक प्रति छमाही अभिदाय राशि मंडल को प्रत्येक छह माही की समाप्ति अर्थात 30 जून एवं 31 दिसम्बर पश्चात 15 दिवस के अंदर प्रारूप 'क' में विवरण सहित भेजना प्रत्येक नियोजक का दायित्व है। नियोजक के अभिदाय की न्यूनतम राशि रुपये 1500/– प्रत्येक छमाही निर्धारित है। अतः आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि आपकी ओर से देय समस्त अभिदाय की बकाया राशि कल्याण आयुक्त मप्र श्रम कल्याण मंडल भोपाल के नाम चेक/ बैंक ड्राफ्ट द्वारा मंडल कार्यालय 83, मालवीय नगर, भोपाल 462003 के पते पर अविलम्ब भेजने का कष्ट करें।

छोटे सिंह
कल्याण आयुक्त,
म प्र श्रम कल्याण मंडल,
83, मालवीय नगर, भोपाल (मप्र)

अनुसूची-अ

जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी सम्मिलित है (आंकड़े रूपयों में)

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतर दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रूपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दर	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित दरें		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राऊंडअप कर दैनिक दरें
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 1.04.2020 से 30.09.2020 तक								दिनांक 01.10.2020 से 31.03.2020 तक						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6500.00	250.00	1775.00	68.27	8275.00	318.26	318.00	अकुशल	6500.00	250.00	1900.00	73.08	8400.00	323.07	323.00
7057.00	271.42	2075.00	79.81	9132.00	351.23	351.00	अर्धकुशल	7057.00	271.42	2200.00	84.62	9257.00	356.03	356.00
8435.00	324.42	2075.00	79.81	10510.00	404.23	404.00	कुशल	8435.00	324.42	2200.00	84.62	10635.00	409.03	409.00
9735.00	374.42	2075.00	79.81	11810.00	454.23	454.00	उच्चकुशल	9735.00	374.42	2200.00	84.62	11935.00	459.03	459.00

स्पष्टीकरण :-

(1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांकों का राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9–7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा। विशेष टीप–उपर्युक्त अनुसूची –क्रं. में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन में विभाजित कर निर्धारित की गई है। इसलिए सभी कर्मचारियों एवं श्रमिकों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोइ कटौति नहीं की जा सकेगी।

(2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरों शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001–100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।

(3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की देरं उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधीनियम, 1948 की धारा 12 (1–ए))

टीप :- न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, के अन्तर्गत 67 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट अ तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट – द में देखें।

स्वामी, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मंडल (मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम) के लिए संपादक एवं प्रकाशक कल्याण आयुक्त श्री छोटे सिंह द्वारा मप्र श्रम कल्याण मंडल, 83, मालवीय नगर, भोपाल–462003 (मप्र) से प्रकाशित तथा कृषक जगत प्रिंटिंग वर्क्स भोपाल से मुद्रित। दूरभाष–0755–2572753, फैक्स–2762978
www.labour.mp.gov.in Email : welfaresommmissioner@gmail.com